224

/1/2/12

समक्ष राजस्व मंडल म.प्र. बैंच, जबलपुर म.प्र.

रा.अ.प्र.क. A-296-I/2012

याचिकाकर्ता ———————— 1 बिरजू उर्फ गूंगा आ0 स्व0 भागचंद लुहार
2. केशरी आ. भागचंद लुहान दोनों निवासी खुर्शीपार तह. केवलारी जिला–सिवनी
3. डिमाकचंद आ. मिट्ठन लुहार
4. वीरसिंह आ. पूनाराम लुहार दोनों निवासी चिखली तह. केवलारी जिला सिवनी

श्री रजनीश यादव अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकार रीडर
31 JAN 2012
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

विरूद्ध

अनावेदक ———————— 1. श्रीमति टीका बाई पति भागचंद परधान निवासी पादरीगंज जिला बालाघाट
2. श्रीमति डीमाबाई पति आशाराम परधान निवासी पीपरदौन तह. केवलारी
3. संतोष पिता टेकसिंह परधान निवासी खुर्शीपार तह. केवलारी जिला–सिवनी

(137)

राजस्व अपील अंतर्गत धारा म.प्र. भू–राजस्व संहिता

याचिकाकर्ता यह याचिका अतिरिक्त कमिश्नर जबलपुर संभाग द्वारा रा.अपी.क. 154/अ–70/11–12 बिरजू एवं अन्य विरूद्ध टीकाबाई एवं अन्य में अपीलार्थी द्वारा तहसीलदार केवलारी के समक्ष प्रस्तुत धारा 115, 116 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की अपील दिनांक 02.11.2011 को निरस्त किये जाने पर प्रस्तुत अपील सुनवाई के उपरांत दिनांक 26.08.2011 को निरस्त किये जाने के विरूद्ध यह याचिका प्रस्तुत की जा रही है।

प्रकरण के तथ्य

याचिकाकर्ता द्वारा तहसीलदार केवलारी के समक्ष धारा 115, 116 का आवेदन प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया कि ग्राम खुर्सीपार स्थित भूमि ख.नं. 18 व 28 पर वर्ष 1947 से काबिज है, याचिकाकर्ता के पिता श्री भागचंद के नाबालिग रहते हुये उनकी मां ने दिनांक 08.10.1947 को पंजियत विकय पत्र के माध्यम से उक्त भूमि कय किया था, जिस पर लगातार पूर्व में स्व. भागचंद एवं उनके भाई काबिज थे, उसके उपरांत याचिकाकर्ता काबिज चले आ रहे हैं परंतु राजस्व अभिलेखों में अधिनस्थ कर्मचारियों की त्रुटि के कारण बिना किसी आधार के अनावेदकगण के पिता एवं उनके भाई का नाम दर्ज हो जाने से याचिकाकर्ता के कब्जे में अनावश्यक व्यवधान किया जा रहा है जबकि अनावेदकगण के पिता द्वारा किसी स्वत्व अर्जन के

२५.११.१६.	आवेदकगण को नोटिस तामील कराई गई परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुए। आवेदकगण आज भी उपस्थित नहीं हुए। इससे स्पष्ट है कि आवेदक प्रकरण चलाने में रुचि नहीं रखते। अतः प्रकरण आवेदक पंजी से खारिज किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। अभिलेख दाखिल किया जावे।

R